




# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

नाम लम्बीटर मल्ली वनाग प्रकाश मल्ली

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
30-11-17	<p>अभिलेख सं०-एम...155.../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी <u>ल.माड</u> के अप्राथमिकी सं०-50/17 दिनांक-5-11-17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>स्वाला 222 प्लॉट न० 1099-1102 रकबा 32510, 07510 कुल रकबा 39510 जमीन विवाद को लेकर उभय पक्ष में तनाव है</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति गंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति गंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 10000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>15-12-17</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संश्लेषित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">               कार्यपालक दण्डाधिकारी,              बुण्डू।         </div> <div style="text-align: center;">               कार्यपालक दण्डाधिकारी,              बुण्डू।         </div> </div>	
15-12-17	<p style="text-align: center;"><u>अभिलेख उपस्थापित / उभय पक्ष उपस्थित / उभय पक्ष तनाव दाखिल</u></p> <p>की दिनांक <u>05-01-18</u> को <u>स्वाला</u></p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">   <u>15/12/17</u> </div>	

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

07-18

अभिलेख उपर-व्याप्त । उमय पत्र  
अनुप्राप्त । उक्त वाद में 6 (छः) माह  
की अवधि पूरी है उकी हे अर्थात् वाद  
कालबाधित हो गया है । अतः वाद  
में अभिलेख की कावाई बन्द की गयी है।

  
2/11/18